राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–33 / नेत्र सहायक / नियु. / एम–68 / 2011 / दिनांक :

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत नेत्र सहायक के पद हेतु निदेशालय के आदेश कमांक ई–33 / सीधी भर्ती / ने.सहा. / 10 / 476 दिनांक 30.07.10 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के परिपेक्ष्य में प्रतीक्षारत अभ्यर्थी श्री प्रकाश चन्द / श्री मोहन सिंह जिनका की चयन निदेशालय के कमांक ई–33 / ने.सहा. / एम–68 / नियु / 2011 / 496 दिनांक 19.07.11 के द्वारा नेत्र सहायक के पद पर किया गया था का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डूंगरगढ (बीकानेर) में नेत्र सहायक के रिक्त पद पद पर किया जाता है। श्री प्रकाश चन्द्र / मोहन सिंह के द्वारा कार्यग्रहण किये जाने कि तिथि से दो वर्ष कि समयावधि के लिये प्रोवेशनल ट्रेनी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत परिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 6100/– पर नियुक्ति की जाती है। दो वर्ष की परिविक्षा अवधि (प्रोवेशनल ट्रेनी) सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कार्य व्यवहार सन्तोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला 5200–20200 का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। चयनित अभ्यर्थियो पर अंशदायी पेंशन योजना परिविक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

श्री प्रकाश चन्द अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को 02.10.11 तक अवश्य रूप से देवे। उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एवं तकनीकि योग्यता प्रमाण पत्र / जाति / मूल निवास प्रमाण पत्र / स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र) दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाह हुआ है तो शपथ पत्र एवं दिनांक 22.05.2006 के पश्चात हुये विवाह के लिये विवाह पंजियन प्रमाण पत्र दो चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियो द्वारा प्रमाणित किये गये है प्रस्तुत करने होंगे। इस तिथि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगे। आपराधिक रिकार्ड लिप्त न होने का प्रमाण पत्र (पुलिस वेरिफिकेंशन), संबंधित जिला जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया हो, प्राप्त होने पर श्री प्रकाश चन्द को कार्य ग्रहण करवाया जावेगा। आचरण संदिग्ध अथवा दोष सिद्धी के कारण सजा होने की स्थिति में कार्यग्रहण न कराकर प्रकरण पूर्ण रूप से तैयार कर मय दस्तावेज के साथ अग्रिम आदेशार्थ संबंधित अधिकारी द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जावेगे।

श्री प्रकाश चंद कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करेगे की यदि कोई प्रमाण पत्र / दस्तावेज फर्जी संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा यह अपराधिक दण्डिक कार्यवाही

की भागी होंगे। कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पायी जाने पर उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगे।

दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नही होने का शपथ पत्र 10/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटर पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो उपस्थिति रिपोर्ट के साथ उपरोक्त उल्लेखित शर्तो को पूर्ण करते हुये प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में नियुक्ति का पात्र नही माना जावेगा।

अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर।

क्रमांक :– ई–33/नेत्र सहायक/नियु./एम–68/2011/590 दिनांक : 6-9-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, जन स्वास्थ्य/एड्स/प०क०, मुख्यालय।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6. संयुक्त निदेशक (अंधता) मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक (योजना) मुख्यालय।
8. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जौन–बीकानेर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर को भेजकर लेख है कि पद उपलब्ध नही होने पर कार्यग्रहण नही करवाया जावे एवं निदेशालय को अवगत करवाया जावे। श्री प्रकाश चंद के मूल आवेदन पत्र रजिस्टर डाक से भिजवाये जा रहे है आप आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजो को मूल शैक्षणिक तकनीकी एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों से मिलान कर सही पाये एवं पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश में दिये गये निर्देशो के अंतर्गत कर्तव्य पर लेवे। यदि किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता संदिग्ध पायी जावे तो उन मामलो में स्वतः रिपोर्ट के साथ प्रकरण इस निर्देशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिशंषा सहित अग्रेषित करे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि कार्यग्रहण उपरान्त भी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजो का सत्यापन 30 दिवस की अवधि में संबंधित राज्य के बोर्ड/संस्था में वाहक भेजकर आवश्यक रूप से करवाया जावे। अभ्यार्थी को मूल दस्तावेज इसके पश्चात ही लौटाये जावे, एवं सत्यापन की रिपोर्ट भी अविलम्ब निदेशालय को भेजे। इस प्रक्रिया में हुई किसी भी अनियमितता के लिये आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।
10. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय।
11. श्री प्रकाश चंद/मोहन सिंह को उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर पालनार्थ।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर।